रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259870
CG-DL-E-02012025-259870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946
No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2024

का.आ. 17(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1563(अ) द्वारा, तारीख 15 मई, 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1563(अ), तारीख 15 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1563(अ) द्वारा, तारीख 15 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) प्रकाशन की तारीख में, "फरवरी" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिती का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

i.	जिला कलेक्टर, कडप्पा	- अध्यक्ष, पदेन;
ii.	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	- सदस्य;
iii.	विश्वविद्यालय के किसी प्रतिष्ठित संस्था से पारिस्थितिकी या पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	- सदस्य;
iv.	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	- सदस्य, पदेन;
v.	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोद्दातुर वन्यजीव प्रभाग	- सदस्य, पदेन;
vi.	पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
vii.	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य-सचिव या सदस्य	- सदस्य, पदेन;
viii.	शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	- सदस्य, पदेन;
ix.	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा प्रभाग	- सदस्य सचिव, पदेन।"

6. मानीटरी समिति के कृत्य.- (1) मानीटरी समिति, स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हैं और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट गये हैं।

IndiaCode

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और उसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की संवीक्षा मानीटरी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित पणधारियों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/45/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1563(अ) तारीख 15 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2024

S.O. 17(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco Sensitive Zone around Rajiv Gandhi national park, Andhra Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1563(E), dated the 15th May, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1563(E), dated the 15th May, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. . 1563(E), dated the 15th May, 2017; namely: -

In the said notification, -

(a) In the date of publication, the word," February" shall be omitted;

(b) for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely :-

(i) District Collector, Kadappa – Chairman, *ex officio*;

(ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years– Member;

(iii) One expert in area of ecology or environment from a reputed institution of University to be nominated by the Government of Andhra Pradesh from time to time every three years – Member;

(iv) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member, *ex officio*;

(v) The Divisional Forest Officer, Proddatur Wildlife Division – Member, *ex officio*;

(vi) Representative of the Department of Environment, Government of Andhra Pradesh– Member, *ex officio*;

(vii) Member-Secretary or Member of the State Biodiversity Board – Member , *ex officio*;

(viii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Andhra Pradesh– Member, *ex officio*;

(ix) Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadapa Division– Member Secretary, *ex officio*.

6. **Functions of Monitoring Committee.**– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or the stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report annually of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden of the State by the 30th June of that year in pro-forma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ".

[F. No. 25/45/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note. -The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O.1563(E), dated the 15th May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.02 22:29:02 +05'30'